संख्या: 1955 /XVII(4)/2013/5(24)/13

611
8/10/13

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 5 ~~अगस्त~~ अक्टूबर, 2013

विषयः आई0सी0डी0एस0 अन्तर्गत निर्भया योजना की स्थापना विषयक।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 134/197/आई0सी0डी0एस0/2013–14 दिनांक 22–7–2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधो एवं किसी भी प्रकार के दुव्यवहार या अपराध से निपटने के लिये प्रभावी कदम उठाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य में निर्भया नामक योजना को कियान्वित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– इस योजना के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जनपद में जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में इस आशय का प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा जो महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार/अपराध जैसे कि महिलाओं के प्रति बलात्कार, महिलाओं के प्रति यौन दुर्व्यवहार, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा का प्रकरण सामने आने पर उस पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चत करेगा। उक्त गठित प्रकोष्ठ में निम्नालिखित सृजित पदों पर कार्मिको को आउटसोर्सिग के माध्यम से नियत मासिक मानदेय पर नियुक्त किये जाने की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र0स0	पदनाम	नियत मासिक मानदेय
1	वरिष्ठ महिला अधिवक्ता (फौजदारी मामलों का अनुभव)	रू0 18,000/– प्रतिमाह
2	परामर्शदाता (पीड़िता की सहायता एवं उसकी काउन्सलिंग की लिए)	रू0 15,000/– प्रतिमाह
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर	रू0 8,500/– प्रतिमाह
4	अनुसेवक।	रू0 7,500/– प्रतिमाह
5	अन्य व्यय	2.5% प्रतिमाह
	कुल व्यय	रू0 6,02,700/– प्रतिवर्ष

3– निर्भया योजना की स्थापना, मूल्यांकन, अनुश्रवण, प्रगति समीक्षा के लिये निम्नानुसार राज्य/जनपद स्तरीय समिति का गठन किया जाता है:–

188
197
23/10/13

S.O.(MWCD)/Letters Off. 1975

(1) राज्य स्तरीय अपराधिक दुर्घटना, सहायता एवं पुर्नवास बोर्ड का गठनः–

1.	प्रमुख सचिव/ सचिव, म0स0एवं बाल विकास विभाग	अध्यक्ष
2.	सचिव, गृह विभाग	सदस्य
3.	सचिव, स्वास्थ्य	सदस्य
4.	सचिव, समाज कल्याण	सदस्य
5.	अपर सचिव, न्याय	सदस्य
6.	निदेशक, म0स0एवं बाल विकास विभाग	कार्यकारी सचिव
7.	निदेशक, म0स0एवं बाल विकास विभाग द्वारा नामित प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन की दो महिला पदाधिकारी	सदस्य

राज्य स्तरीय आपराधिक दुर्घटना सहायता एवं पूनर्वास बोर्ड का मुख्य कार्य भारत सरकार की प्रस्तावित योजना Restorative justice to victims of Rape, के अनुसार जनपद स्तरीय पुनर्वास बोर्ड के कार्यों की प्रगति आख्या एवं पीड़ित महिला को दी जाने वाली सहायतित धनराशि/हर्जाने की समीक्षा की जायेगी।

(2) जनपद स्तरीय जिला अपराधिक दुर्घटना, सहायता एवं पुर्नवास बोर्ड का गठनः–

1.	जिला अधिकारी	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	उपाध्यक्ष
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
4.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य सचिव
5.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
6.	जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)	सदस्य
7.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन की दो महिला पदाधिकारी	सदस्य

जिला आपराधिक दुर्घटना, सहायता एवं पुनर्वास बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में बैठक कर इस प्रकार के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों को दूर करते हुए अपनी आख्या राज्य स्तरीय अपराधिक दुर्घटना, सहायता एवं पुनर्वास बोर्ड को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या 15 के लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण,–02 समाज कल्याण,–103–महिला कल्याण,

13—घरेलू हिंसा से महिलाओं का सुरक्षा के अन्तर्गत मानक मद—42 अन्य व्यय की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशा.पत्र संख्या—644/XXVII(1)/2013 दिनांक 13.09.2013 में जारी उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या: (1)/XVII(4)/2013 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव—मा0 मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव—मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव—मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव